न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 143 / 2024	दायर दिनांक 08.04.2024	निर्णय दिनांक 13-01-2025

उनवान

1. श्री केसर पिता चम्पा कुमावत निवासी निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री नरेश पिता चम्पा कुमावत निवासी निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री त्यारा पिता रूपा कुमावत निवासी निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति मंजु पुत्री चम्पा कुमावत निवासी निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री मांगू पिता रूपा कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति सुगना पुत्री चम्पा कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. रूकमा पुत्री चम्पा कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति नीतु कंवर राठोड़ पत्नी गोपालसिह राठौड़ निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. संजू कंवर राठौड पत्नि हिम्मत सिह राठौड निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नाना पिता गंगाराम जाति कुमावत निवासी निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नरेन्द्रसिह पिता मोहब्बत सिह राजपूत निवासी आरियन्टल बेक ऑफ कार्मस शाखा पासंल तहसील व जिला भीलवाडा।
5. उच्चबकंवर पत्नी भोपालसिह शेखावत रेजिडेंट शास्त्री नगर भीलवाड़ा।
6. चेतन कंवर पत्नी सुरेंद्रसिह शक्तावत निवासी पटेल नगर भीलवाड़ा)।
7. केलाश पिता अम्बालाल कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. गोपी देवी पत्नि अम्बालाल कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. जगदीश पिता अम्बालाल कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिल भीलवाडा।
10. हगामी उर्फ भगवती देवी पत्नि पन्ना लाल कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील जिला भीलवाडा।
11. लादी पुत्री अम्बालाल कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. तुलछी पत्नि नन्दा कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
13. बलवंत सिंह पिता जोधसिह राजपूत तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. मगन कंवर पत्नि स्व जोधसिह राजपूत निवासी रूपपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाड़ा।

— विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मदन लाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डफिया नई, पटवार हल्का— मुझरास, भू.अ.नि. क्षेत्र—गुरला, तहसील व जिला—भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 88 पुराना 84 में वर्णित आराजी संख्या 223 रकबा 0.1391 हेक्टर, आराजी संख्या 323 रकबा 0.6575 हेंक्टर आराजी संख्या 324 रकबा 0.3035 हेक्टर आराजी संख्या 433/222 रकबा 0.0759 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1760 हेक्अर कृषि भूमि स्थित है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डफिया नई, पटवार हल्का– मुझरास, भू.अ.नि. क्षेत्र–गुरला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2073 तक में दर्ज खाता संख्या नया 88 पुराना 84 में वर्णित आराजी संख्या 223 रकबा 0.1391 हेक्टर, आराजी संख्या 323 रकबा 0.6575 हेंक्टर आराजी संख्या 324 रकबा 0.3035 हेक्टर आराजी संख्या 433/222 रकबा 0.0759 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1760 हेक्अर कृषि भूमि स्थित है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा